उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1519–कार्य/चौदह–पाकालि/2022–8(6)–के/2020 दिनांकः 20 जुलाई, 2022

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ द्वारा मैसर्स दिव्या एन्टरप्राइजेज, शामली को व्यापार निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कारपोरेशन के पत्र सं0–721–कार्य/चौदह–पाकालि/2021–8(6)–के/2020 दिनांक 12.06.2020 जिसके द्वारा मुख्य अभियन्ता (मा0सं0 एवं प्रशा0), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0–507/पविविनिलि–एमटी/19–20 दिनांक 28.04.2020 को संज्ञान में लेते हुए तदानुसार कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (मा0सं0 एवं प्रशा0), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा कार्यालय ज्ञाप सं0–431/प्रा0नि0/पविविनिलि/मे0/एच0आर0 दिनांक 27.05.2022 निर्गत किया गया है।

अतएव पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 द्वारा फर्म मैसर्स दिव्या एन्टरप्राइजेज, शामली को दिनांक 28.04.2020 से तीन वर्ष के लिए व्यापार निषिद्ध हेतु निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.05.2022 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को संज्ञान में लेते हुए तदनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0 के0 गुप्ता)
उप सचिव (कार्य)

संख्या–1519(I)–कार्य/चौदह–पाकालि/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मा0सं0 एवं प्रशा0), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को उनके कार्यालय ज्ञाप सं0–431/प्रा0नि0/पविविनिलि/मे0/एच0आर0 दिनांक 27.05.2022 के सन्दर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः–यथोपरि।

(आर0 के0 गुप्ता)
उप सचिव (कार्य)

संख्या–1519(II)–कार्य/चौदह–पाकालि/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी–781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा–390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरूवनन्तपुरम–695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन0पी0के0पी0आर0, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई– 600002,
5. सचिव, हिमॉचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच0पी0)–171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्वुत नगर, जबलपुर–432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई–400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलॉंग–793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, रॉंची–834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वॉं तल, बिधान नगर, कलकत्ता–700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर–492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि0, विद्युत सौधा, हैदराबाद–500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद–500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि0, शक्ति भवन, सेक्टर–06, पंचकुला, हरियाणा–134109,
15. अध्यक्ष, उ0 दिल्ली पावर लि0, ग्रिड सब–स्टेशन बिल्डिंग, हरसंन लाइन, किंगस् वे कैम्प, नई दिल्ली–110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रॅांसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली–110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर–751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, 82–रेस कोस रोड, बैंगलौर–500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि0, ब्लाक–5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर–11, गॉंधीनगर–382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि0, जनपद, भुवनेश्वर–751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि0, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बार्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर–337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता– 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि0, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर0सी0 देव मार्ग, जयपुर–302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0–104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली–110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि0, विद्युत नगर, हिसार–126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि0, जी0पी0एच0 कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल डेवलेपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाई ऑफ डिविजन) जीवन तरंग बिल्डिंग, 5–पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली–110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक–यथोपरि।

(आर0 के0 गुप्ता)
उप सचिव (कार्य)

क्रम सं० 5 दिनांक
पत्रवली सं० 8(6)क/2020

राष्ट्र हित में बिजली बचायें
SAVE ELECTRICITY IN THE INTEREST OF THE NATION
ISO 9001:2015
दूरभाष : 0121–2665794
फैक्स : 0121–2666062
E.Mail - cebrdpvvnl@gmail.com
CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
ऊर्जाभवन विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Urja Bhawan, Victoria Park, Meerut.

पत्रांक :   /प्र०नि०/प.वि.वि.नि.लि./मे०/एच०आर०   दिनांक : 27.05.2022

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत वितरण मण्डल–द्वितीय, सहारनपुर के अन्तर्गत 33/11 केवी उपकेन्द्रों एवं एच०टी०/एल०टी० वितरण लाईनों के परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु कुशल श्रमिक/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी के चयन के लिये आमंत्रित निविदा संख्या पविविनिलि–एमटी/एमएम/38/19–20 में ई–निविदा पोर्टल पर मै० दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली द्वारा अनुभव प्रमाण से सम्बन्धित अभिलेख अपलोड किये गये, जिनका विवरण निम्नवत् है–

1. उपनिदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ललितपुर द्वारा संविदाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध संख्या 23/18–19 दिनांक 28.12.2018 (धनराशि रू० 44348880.00)
2. उपनिदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मिर्जापुर द्वारा संविदाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध संख्या 14/18–19 दिनांक 26.12.2018 (धनराशि रू० 51846000.00)

उक्त अनुबन्ध से सम्बन्धित अपलोड किये गये अभिलेख सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग, लखनऊ उ०प्र० द्वारा सत्यापित कराये जाने पर उपरोक्त अभिलेख जाली (Fake) पाये गये। उपरोक्त के दृष्टिगत मै० दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली के विरूद्ध पत्रांक 289/पविविनिलि/एमटी/एमएम/38/19–20 दिनांक 18.04.2020 में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। जिसके क्रम में मै० दिव्या एन्टरप्राइजेज, शामली के प्रोपराईटर श्री विजय कौशिक के पत्र संख्या डी०आई०वी०/02/2021 दिनांक 25.04.2020 के द्वारा अपने कार्मिक (कम्प्यूटर ऑपरेटर) को उक्त कृत्य के लिये दोषी बताया गया।

उपरोक्त के दृष्टिगत निविदा सं० PVVNL-MT/MM/38/19-20 में जाली (Fake) अभिलेख ई–निविदा पोर्टल पर अपलोड किये जाने के कारण मै० दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली को पविविनिलि, मेरठ के अन्तर्गत समस्त कार्यो हेतु व्यापार निषिद्ध किये जाने के लिये निगम के पत्रांक 507/पविविनिलि–एमटी/2019–2020 दिनांक 28.04.2020 द्वारा व्यापार निषिद्ध किया गया था।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका सं० 34479/2021 मै० दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली बनाम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० द्वारा प्रबन्ध निदेशक व अन्य, में अपने निर्णय दि० 03.03.2022 द्वारा मुख्य अभियन्ता (मा०संसा० एवं प्रशा०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ द्वारा निर्गत आदेश सं० 507/पविविनिलि–एमटी/19–20 दिनांक 28.04.2020 को set aside करते हुए निर्णीत किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश का आपरेटिव अंश इस प्रकार है :–

5. "Accordingly, the order dated 28.04.2020 is set aside. The matter is remitted to the respondent authorities to issue a fresh notice to the petitioner containing both description of charge/allegation as also description of action proposed to be taken. Only upon service of such notice, the petitioner may have two weeks thereafter to submit reply. Thereafter, a reasoned order may be passed in such proceedings, upon hearing the parties.
6. With the aforesaid observation, present writ petition stands disposed of."

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका सं० 34479/2021 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2022 के अनुपालन में निगमीय पत्रांक 4580/प०वि०वि०एन०एल०–एमटी/एमएम दिनांक 07.05.2022 के द्वारा मै० दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके द्वारा फर्म को अपना जवाब/पक्ष 15 दिवस के अन्तर्गत साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करने तथा दिनांक 23.05.2022 को प्रातः 11:00 बजे कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के प्रतिउत्तर में मै० दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली ने अपने पत्र दिनांक 11.05.2022 द्वारा "कारण बताओ" नोटिस का जवाब इस कार्यालय को प्रेषित किया गया।

EE(A) D(P&A)/DS(W)

06/06/2022

ARO (R)
7/6/22

(विनय भूषण राय)
अपर सचिव–प्रथम

7/6/22

मै0 दिव्या एन्टरप्राइजेज, शामली के प्रतिनिधि, श्री विजय कौशिक एवं डिस्काम के अधिकारियों के साथ दिनांक 23.05.2022 के प्रातः 11:00 बजे कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। व्यक्तिगत सुनवाई में श्री विजय कौशिक, प्रतिनिधि, मै0 दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली द्वारा कोई नया तथ्य/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, उनके द्वारा कथन किया गया कि निगम के पत्रांक 4580/प0वि0वि0एन0एल0—एमटी/एमएम दिनांक 07.05.2022 के सापेक्ष फर्म द्वारा दिनांक 11.05.2022 को नोटिस का जवाब दे दिया गया है, उसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहना।

दिनांक 23.05.2022 को डिस्काम मुख्यालय, मेरठ पर व्यक्तिगत सुनवाई में मै0 दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रपत्रों के गहन अवलोकन एवं परीक्षण उपरान्त पाया गया कि फर्म द्वारा निविदा सं0 PVVNL-MT/MM/38/19-20 में ई—निविदा पोर्टल पर अपलोड किये गये कार्य अनुभव प्रमाण से सम्बन्धित अभिलेख उपनिदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ललितपुर द्वारा संविदाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध संख्या 23/18—19 दिनांक 28.12.2018 एवं उपनिदेशक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मिर्जापुर द्वारा संविदाकर्मी उपलब्ध कराने हेतु अनुबन्ध संख्या 14/2018—19 दिनांक 26.12.2018 के प्रपत्र जाली (Fake) अपलोड किये गये, जिसके लिए फर्म का कथन है कि फर्म के कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा द्वेष भाव से कथित प्रपत्र अपलोड किये गये थे, जोकि स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। उक्त कृत्य के लिए फर्म स्वयं जिम्मेदार है जोकि आपराधिक श्रेणी का कृत्य है।

एतद्द्वारा मै0 दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली को पविविनिलि, मेरठ द्वारा निविदा सं0 PVVNL-MT/MM/38/19-20 में ई—निविदा पोर्टल पर जाली (Fake) अभिलेख अपलोड किये जाने के कारण मै0 दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली द्वारा उक्त निविदा के विरूद्ध जमा की गई पूर्व धरोहर राशि रू0 7.00 लाख जब्त रहेगी तथा साथ ही मै0 दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली को पविविनिलि, मेरठ के अन्तर्गत समस्त कार्यो हेतु पूर्व में निर्गत किये गये कार्यालय ज्ञाप सं0 507/पविविनिलि—एमटी/19—20 दिनांक 28.04.2020 से 03 वर्ष के लिये व्यापार करने हेतु निषिद्ध किया जाता है अर्थात व्यापार निषिद्ध की अवधि दिनांक 28.04.2020 से दिनांक 27.04.2023 तक रहेगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(आर0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मा0संसा0 एवं प्रशा0)

पत्रांक : 4-31 /प्र0नि0/प.वि.वि.नि.लि./मे0/ एच0आर0 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित :—

1. अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक महोदय, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।

(आर0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मा0संसा0 एवं प्रशा0)

पत्रांक : /प्र0नि0/प.वि.वि.नि.लि./मे0/ एच0आर0 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. प्रबन्ध निदेशक, पूविविनिलि/म0वि0वि0नि0लि0/द0वि0वि0नि0लि0/केस्को।
2. निदेशक (काप्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
3. निदेशक (का0 एवं प्रब0)/(वाणिज्य)/(तक0)/(वित्त), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
4. संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/(जानपद), अन्तर्गत प0वि0वि0नि0लि0।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), अन्तर्गत प0वि0वि0नि0लि0।
8. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला मण्डल/विद्युत निर्माण एवं कार्य मण्डल—प्र0/द्वि0/विद्युत भण्डार मण्डल, मेरठ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, अन्तर्गत प0वि0वि0नि0लि0।
10. मैसर्स दिव्या इन्टरप्राइजेज, शामली।

(आर0पी0 सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मा0संसा0 एवं प्रशा0)